

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040/1/2/3 फैक्स: 022-25752029/35

"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR Tele: 91-22-25752040/1/2/3 आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

Fax:022-25752029/35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST)

E-mail: dgship-dgs@nic.in

Dated: 26.03.2015

वेब: www.dgshipping.gov.in

मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

Web: www.dgshipping.gov.in

F. No. SD-13/POL (5)/09 Vol.II

Shipping Development Circular No.01 of 2015

Sub: Amendments to guidelines for grant of Licence for Contract of Affreightment [COA] issued vide SD Circular No. 01 of 2004, dated January, 14, 2004.

The guidelines for grant of License for Contract of Affreightment [COA] were issued by the Directorate vide SD Circular No. 01 of 2004, dated January, 14, 2004 under the provisions Sub-Section (3) of Section 406 and sub-section (2) of Section 407 of the Merchant Shipping Act, 1958.

2. Sub Para (iii) of Paragraph 4 of the aforementioned circular states as below'

"The difference in the bid price between the Indian flag vessel exercising the right of first refusal and the lowest rate quoted by the foreign flag vessel shall be limited to 10%. In case the difference is more than 10%, the right of first refusal shall cease to exist".

- 3. A need has been felt to, review the aforesaid circular, keeping in view of the Govt's policy of strengthening and promoting the Indian shipping in a competitive framework.
- 4. Now therefore the Director General of Shipping in pursuance of the powers conferred on him in respect of the provisions of Sub-Section (3) of Section 406 and subsection (2) of Section 407 of the Merchant Shipping Act, 1958, makes the following amendment to the said SD Circular No. 01 of 2004;
 - 4.1. Sub Para (iii) of paragraph 4 of the said Circular stands deleted.
- 5. This amendment to the said circular will come into force from the date of issue of this circular.
- 6. This issues with the approval of the Director General of Shipping & ex-officio Additional Secretary to the Government of India.

Assistant Director General of Shipping [SD]

To:

- 1. All the stakeholders through DGS website.
- 2. Indian National Ship-owners Association (INSA), Mumbai.



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING बिटा बिल्डिंग", 9 यी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR

आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)

मुंबई - 400 042/MUMBAI- 400 042

Tele: 022 - 25752040/1/2/3 Fax: 022 - 25752029/35 E-mail: dgshlp@dgshipping.com Web: www.dgshipping.com

दिनांक : 25.<u>03.2015</u>

सं. एसडी-13/पीओएल(5)/09-॥

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3

ई-मेल: dgship@dgshlpping.com

फैक्स: 022 - 25752029/35

वेब. www.dgshipping.com

वर्ष 2015 का नौवहन विकास परिपत्र सं. - 01

दिनांक : दिनांक 14, जनवरी, 2004 का नौवहन विकास परिपत्र क्र. - 1 के अनुसार जारी किए गए कान्ट्रेक्ट ऑफ अफ्रेटमेन्ट (सीओए) हेतु लाइसेंस की स्वीकृति हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन ।

वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958, की धारा 406 की उपधारा (3) और धारा 407 की उपधारा (2) [फाईल संख्या - एसडी-9/चार्ट(47)/2003] के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 14 जनवरी, 2004 के नौवहन विकास परिपत्र संख्या 01 के माध्यम से इस महानिदेशालय द्वारा कान्ट्रेक्ट ऑफ अफ्रेटमेन्ट (सीओए) हेतु लाइसेंस को संस्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे।

- पूर्वलिखित परिपन्न के परिच्छेद 4 के उप परिच्छेद (iii) में निम्नानुसार उल्लेख है 2.
- "पहले इनकार करने का अधिकार प्रयोग में लाने वाले भारतीय ध्वज जलयान और विदेशी ध्वज जलयान द्वारा उद्भृत न्यूनतम दर के बीच बोली की कीमत में भिन्न्ता 10% तक सीमित होगी; यदि भिन्नता 10% से अधिक है तो पहले इनकार करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा"
- प्रतियोगी कार्यरत ढांचे में भारतीय नौवहन को सशक्त और सुदृढ़ीकरण करने की सरकार की नीति को दृष्टिगत रखते हुए इस बात की आवश्यकता समझी गई है कि पूर्वलिखित परिपत्र की समीक्षा की जाए।
- इसलिए अब नौवहन महानिदेशक, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 की उपधारा (3) और धारा ४०७ की उपधारा (२) के प्रावधानों के संबंध में उन्हें प्रदत शक्तियों के अनुसरण में वर्ष २००४ के उक्त नौवहन विकास परिपत्र सं. - 01 में निम्नलिखित संशोधन करते है ;
- उक्त परिपन्न के परिच्छेद 4 के उपपरिच्छेद (iii) को हटाया जाता है। 4.1
- उक्त परिपत्र में यह संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रवृत होगा।
- इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है। 6.

सहायक नौवहन महानिदेशक (एसडी)

सेवा में.

- 1. डीजीएस वेबसाईट के माध्यम से सभी हिताधिकारी।
- 2. इन्सा, मुंबई।